न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 78/2017

खेतपाल पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी ग्राम निरवाणा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थी

बनाम

1. अनुराधा पत्नी हेतराम पुत्र बेगाराम
2. सुमनबाला पत्नी दयालाराम पुत्र बेगाराम
3. पार्वती देवी पत्नी रूपाराम पुत्र बेगाराम
4. मूलचन्द पुत्र बेगाराम

जाति जाट निवासी ग्राम निरवाणा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

5. प्रबन्धक बैंक आफ इण्डिया शाखा सूरतगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।
7. उपपंजीयक सूरतगढ।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 20.04.2017

उपस्थितिः—

श्री बाबूलाल चाण्डक , अभिभाषक अपीलांट ।

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 26.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट द्वारा एक वाद राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 53, 188, 92ए, 209ए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश किया। उक्त वाद के साथ प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। मूल वाद में

26/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सीपीसी पेश होने पर उक्त प्रा.पत्र दिनांक 20.04.2017 को स्वीकार करते हुए दावा खारिज कर दिया एवं उसी आधार पर धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

अपीलांट द्वारा मूल दावे में पारित आदेश दिनांक 20.04.2017 के विरूद्ध अपील सं. 71/2017 खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रा.पत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील स्वतः ही निष्प्रभावी होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर